आखिरी जांच: 21 अक्टूबर 2026 · Government of Uttar Pradesh (via Jaunpur District Administration scheme page)

Couple award for marrying a widow below 35 years of age

उत्तर प्रदेश किसी अविवाहित पुरुष के 35 साल से कम उम्र की विधवा से विवाह करने पर दंपती को 11,000 रुपये का एकमुश्त पुरस्कार देता है।

क्या मिल सकता है

दंपती के लिए 11,000 रुपये का एकमुश्त पुरस्कार, जो उस महिला को फिर से बसाने में मदद के लिए दिया जाता है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है।

किसके लिए है

उत्तर प्रदेश के वे दंपती जिनमें अविवाहित पुरुष ने 35 साल से कम उम्र की विधवा से विवाह किया हो और पुरुष आयकर न देता हो।

मुख्य शर्तें

- विधवा से विवाह के समय पति अविवाहित था।
- विवाह के समय विधवा की उम्र 35 साल से कम हो।
- आवेदन विवाह के एक साल के भीतर किया जाए।
- पति आयकर दाता न हो।
- पुरस्कार एक दंपती को एक ही बार मिलता है।

दस्तावेज़

- पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जो तहसीलदार द्वारा दिया गया हो
- समाज की रीति के अनुसार विधवा विवाह का प्रमाण पत्र
- पति और पत्नी का फोटो
- पति और पत्नी के आधार कार्ड की फोटो प्रति

आवेदन कैसे करें

1. बाल एवं महिला कल्याण की वेबसाइट पर उसकी प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करें।
2. आप खंड विकास कार्यालय या विकास भवन में जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://jaunpur.nic.in/scheme/couple-award-for-marrying-a-widow-below-35-years-of-age/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttar-pradesh/up-widow-remarriage-couple-award/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।